दिनांक: 25.02.2026

आईपीआर कानूनों में विशेषज्ञता रखने वाली फर्मों से प्रस्तावों हेतु विचारार्थ विषय

बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान (बीईडीएफ) उन विधि फर्मों से नए प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जो बौद्धिक संपदा के पंजीकरण एवं संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती हैं, ताकि बीईडीएफ तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), जो वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक प्राधिकरण है, को भारत एवं विदेशों में बासमती चावल से संबंधित बौद्धिक संपदा के पंजीकरण एवं संरक्षण से जुड़े कार्यों में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके। चयनित फर्म को प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।

विधि फर्म द्वारा किए जाने वाले कार्य का विस्तृत कार्यक्षेत्र और अन्य विचारार्थ विषय एपीडा की वेबसाइट www.apeda.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

"बासमती चावल के संबंध में बौद्धिक संपदा के पंजीकरण और संरक्षण के लिए बोली" के रूप में अधिलिखित दो भागों, तकनीकी और वित्तीय, में अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में बोलियां दिनांक **20.03.2026 (दोपहर 3 बजे)** तक निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत की जानी हैं:

सचिव,
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा),
वाणिज्य मंत्रालय, **भारत सरकार**,
एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 **सीरी सांस्थानिक क्षेत्र**,
अगस्त क्रांति मार्ग, **नई दिल्ली 110 016।**

बोली-पूर्व बैठक **13.03.2026** को आयोजित की जाएगी।

विचारार्थ विषय

कार्यक्षेत्र:

1) बासमती तथा इसकी अधिसूचित किस्मों, जिन्हें समय-समय पर बीज अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो, के संरक्षण संबंधी विषयों पर बौद्धिक संपदा संबंधी समस्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में बीईडीएफ / एपीडा को परामर्श प्रदान करना तथा भारत एवं विदेश में 'बासमती' के पंजीकरण / संरक्षण में आवश्यक सहायता प्रदान करना।

2) बीज अधिनियम, 1961 के अंतर्गत समय-समय पर अधिसूचित 'बासमती' और इसकी किस्मों के नामों में बौद्धिक संपदा पंजीकृत करने के लिए तीसरे पक्ष द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क तथा भौगोलिक संकेतकों के रजिस्टरों की निगरानी करना, और भारत एवं विदेशों में आवश्यक कार्रवाई करना।

3) बीज अधिनियम, 1961 के अंतर्गत समय-समय पर अधिसूचित 'बासमती' नाम और इसकी किस्मों के नामों के लिए संभावित खतरों के विरुद्ध, भारत और विदेशों में विराम और निषेध नोटिस, वार्ताओं, विरोधों, निरस्तीकरणों, न्यायालयी कार्यवाहियों या कार्रवाई के अन्य माध्यमों द्वारा पहल करना।

4) इस संबंध में निर्णय लेने हेतु सशक्त भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री और किसी अन्य प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण सहित, भारत और विदेशों में सभी विधि न्यायालयों के समक्ष बीईडीएफ / एपीडा का प्रतिनिधित्व करना।

5) भारत और विदेश में बासमती की बौद्धिक संपदा के पंजीकरण एवं संरक्षण के संबंध में (किए गए, जारी और प्रस्तावित) कार्रवाइयों के बारे में एपीडा / बीईडीएफ को समय-समय पर एपीडा द्वारा बताए गए तरीके से आवधिक स्थिति चार्ट / रिपोर्ट के ज़रिए अद्यतित रखना।

6) बीईडीएफ / एपीडा के निर्देश एवं अनुमोदन के अनुसार, विदेशी क्षेत्राधिकारों में सहायकों (वकील / सलाहकार / एजेंसियाँ / सेवा प्रदाता) को संलग्न / नियुक्त करना, जिसके लिए ऐसे नियुक्ति / कार्य सौंपने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त विदेशी सहायकों के साथ एपीडा / बीईडीएफ की ओर से पत्राचार आयोजित, संचालित एवं संधारित करना तथा बासमती के पंजीकरण एवं संरक्षण से संबंधित विषयों पर उनके साथ किए गए सभी प्रकार के पत्राचार (दूरभाषीय वार्तालाप / वीडियो कॉल / ईमेल / चैट / पत्र / अन्य भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण), चाहे

वह बीईडीएफ / एपीडा की सहभागिता के साथ हो या बिना, की सूचना एपीडा / बीईडीएफ को नियमित रूप से उपलब्ध कराते हुए अद्यतित रखना।

7) एपीडा / बीईडीएफ द्वारा जब भी अपेक्षित हो, बीईडीएफ / एपीडा / एमओसी / एमओए के अधिकारियों और / अथवा एआईआरईए के सदस्यों / वैज्ञानिकों / पीयूएसए आदि के साथ बैठकों में भाग लेना।

8) बीईडीएफ / एपीडा और भारत की वार्ताकार टीम को, आईपीआर अध्याय के अंतर्गत अथवा एक पृथक जीआई समझौते के अंतर्गत, भारत के जारी / भविष्य के एफटीए समझौते की वार्ताओं में बासमती को जीआई के रूप में संरक्षित करने में सहायता करना।

9) उपर्युक्त मुख्य सेवाओं से संबंधित या आनुषंगिक कोई भी विविध सेवाएँ प्रदान करना।

पात्रता आवश्यकताएँ:

आवेदकों को आवेदन करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

क) विधि फर्म की स्थापना और संचालन कम से कम पिछले 7 वर्षों या उससे अधिक की अवधि से होना चाहिए, तथा विगत तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 में से प्रत्येक में, फर्म का न्यूनतम वार्षिक राजस्व ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए, जो मुख्य रूप से बौद्धिक संपदा कानूनों से संबंधित कार्य से प्राप्त हुआ हो। इसके समर्थन में, तकनीकी बोली के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्राप्त एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

ख) विधि फर्म के पास ट्रेडमार्क और / या भौगोलिक संकेतक (अधिमान्य) से संबंधित मामलों के संचालन का 5 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव होना चाहिए। इस आवश्यकता को प्रमाणित करने हेतु, आवेदक को भारत और विदेशों में संचालित मामलों का विवरण निम्नलिखित तालिका प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। (प्रथम विराम और निषेध पत्रों को उपेक्षित किया जाना चाहिए।)

प्रकरण का शीर्षक	**क्षेत्राधिकार**	**सहायक विदेशी विधि फर्म (यदि कोई हो)**	**वर्तमान स्थिति**	**रिकॉर्ड पर वकील का नाम**

आवेदन पत्र में, आवेदक विधि फर्म को भौगोलिक संकेतों से संबंधित मामलों के निराकरण में अपने अनुभव तथा विभिन्न उत्पादों, विशेषकर कृषि उत्पादों, हेतु रणनीति निर्धारण में अपनी भागीदारी का विवरण एक पृथक प्रपत्र पर प्रदर्शित करना होगा।

ग) आवेदक फर्म के न्यूनतम तीन अधिवक्ताओं के पास कम से कम 10 वर्ष का बार अनुभव होना आवश्यक है तथा उन्हें भौगोलिक संकेतों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों, डब्ल्यूटीओ समझौते एवं अन्य क्षेत्रीय समझौतों का विषयगत ज्ञान होना चाहिए। आवेदन पत्र में संबंधित अधिवक्ताओं का जीवन-वृत्त संलग्न किया जाना आवश्यक है, जिसमें उनके अनुभव के वर्ष, विषय से संबंधित प्रकाशन, लिखित पुस्तकें, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुतियाँ तथा उक्त क्षेत्र में किए गए अन्य कार्यों का विवरण, अन्य के साथ, स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना होगा।

घ) आवेदक विधि फर्म के पास राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क तथा भौगोलिक संकेत रजिस्टरों की निगरानी हेतु उपयुक्त सुविधाएँ एवं आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध होना अनिवार्य है।

ङ) आवेदक विधि फर्म के पास प्रमुख देशों में सहायक विधि फर्मों या वकीलों का एक सुदृढ़ नेटवर्क होना आवश्यक है, ताकि भौगोलिक संकेतों एवं अन्य बौद्धिक संपदा संबंधी कानूनों के क्षेत्र में सौंपे जाने वाले कार्यों का सुचारू रूप से निष्पादन किया जा सके। विदेशी विधि फर्मों और सहयोगियों की सूची, उनके साथ संबंध की प्रकृति तथा यह संबंध अनन्य है या नहीं— इसका स्पष्ट विवरण आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

<u>वित्तीय बोलियाँ</u>:

I. बासमती चावल अथवा बीईडीएफ / एपीडा द्वारा निर्धारित किसी अन्य उत्पाद में निहित बौद्धिक संपदा से संबंधित, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री / ट्रेडमार्क रजिस्ट्री / कॉपीराइट बोर्ड / विभिन्न जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के समक्ष भारत में की जाने वाली कार्रवाई हेतु शुल्क का भुगतान, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, न्यायिक अनुभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 26(1) / 2014 / Judl. दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के केंद्रीय सरकारी काउंसिलों को देय शुल्क के अनुरूप किया जाएगा। वकीलों की तीन श्रेणियों समूह ए, बी और सी पर लागू होने वाली शुल्क संरचना फर्म के तीन स्तरों के वकीलों पर लागू होगी, अर्थात् स्तर 1 जैसे कि वरिष्ठ सहयोगी, स्तर 2 जैसे कि प्रतिधारित सहयोगी और स्तर 3 जैसे कि सहयोगी।

हालाँकि, किसी विशिष्ट गतिविधि के लिए बीईडीएफ को प्रस्तुत किए जाने वाले बिल में स्तर 1 एवं स्तर 2 के अधिकतम एक-एक वकील तथा स्तर 3 के अधिकतम दो वकीलों से अधिक का दावा अपेक्षित नहीं होगा।

यदि चयनित विधि फर्म द्वारा किसी प्रकरण में बीईडीएफ / एपीडा का प्रतिनिधित्व करने हेतु बाहरी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष

नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें भुगतान किए जाने वाले शुल्क हेतु बीईडीएफ / एपीडा से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

II. विदेशी क्षेत्राधिकारों में किसी भी मंच, प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष बासमती चावल अथवा बीईडीएफ / एपीडा द्वारा निर्धारित किसी अन्य उत्पाद में निहित बौद्धिक संपदा से संबंधित कार्यवाही / कार्य निष्पादन हेतु, चयनित विधि फर्म अपने स्वतंत्र मूल्यांकन, भारत के उच्चायोग / दूतावास की राय तथा बीईडीएफ / एपीडा के अंतिम निर्णय के आधार पर सहायकों (वकीलों / परामर्शदाताओं / एजेंसिओं / सेवा प्रदाताओं) को नियुक्त करेगी। उक्त सहायकों की नियुक्ति / कार्य आवंटन से पूर्व इन निर्देशों तथा अनुमोदनों का प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे विदेशी सहायकों को देय किसी भी शुल्क के प्रेषण हेतु चयनित विधि फर्म को बीईडीएफ / एपीडा से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

III. बासमती नाम से संबंधित बौद्धिक संपदा के पंजीकरण हेतु तृतीय पक्ष द्वारा किए जा रहे प्रयासों की निगरानी करने तथा भारत एवं विदेश में आवश्यक कार्रवाई करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क तथा भौगोलिक संकेत रजिस्टरों की निगरानी के लिए, चयनित विधि फर्म द्वारा बीईडीएफ / एपीडा की पूर्वानुमोदन प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर एक वॉच एजेंसी नियुक्त की जाएगी। वॉच एजेंसी को देय शुल्क का प्रतिपूर्ति बीईडीएफ / एपीडा द्वारा की जाएगी।

IV. फर्म को एक एकमुश्त शुल्क उद्धृत करना अपेक्षित है, जिसका भुगतान उपरोक्त I और II के अनुसार देय शुल्क के अतिरिक्त मासिक आधार पर किया जाएगा। यह एक मुश्त शुल्क भारत और विदेशी क्षेत्राधिकारों में बासमती चावल में निहित बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु अपेक्षित गतिविधियों को समाहित करेगा, जिसमें संचार की समस्त लागत भी सम्मिलित है।

V. जीएसटी समय-समय पर लागू दर के अनुसार अतिरिक्त देय होगा।

VI. बीईडीएफ किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने अथवा बोली प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

वित्तीय बोली का प्रारूप

क्र. सं.	क्रियाकलाप	शुल्क का भुगतान / प्रतिपूर्ति
I.	जीआई रजिस्ट्री / ट्रेडमार्क रजिस्ट्री / कॉपीराइट बोर्ड / विभिन्न जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष बासमती चावल अथवा बीईडीएफ / एपीडा द्वारा निर्धारित किसी अन्य उत्पाद में निहित बौद्धिक संपदा से संबंधित मामलों में की जाने वाली कार्यवाही हेतु देय शुल्क बीईडीएफ / एपीडा द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	(i) भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, न्यायिक अनुभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 26(1) / 2014 / Judl. दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 के अनुसार, केंद्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के काउंसिलों को देय शुल्क के अनुरूप। (ii) वकीलों की तीन श्रेणियों समूह ए, बी और सी पर लागू होने वाली शुल्क संरचना फर्म के तीन स्तरों के वकीलों पर लागू होगी, अर्थात् स्तर 1 जैसे कि वरिष्ठ सहयोगी, स्तर 2 जैसे कि प्रतिधारित सहयोगी और स्तर 3 जैसे कि सहयोगी। (iii) यदि चयनित फर्म द्वारा किसी न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी मामले में बीईडीएफ / एपीडा का प्रतिनिधित्व करने हेतु बाहरी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाता है। उन्हें देय शुल्क के लिए बीईडीएफ / एपीडा से अनुमोदन प्राप्त करना होगा)। **स्वीकार्य**
II.	विदेशी क्षेत्राधिकारों में किसी भी मंच, प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष बासमती चावल अथवा बीईडीएफ / एपीडा द्वारा निर्धारित किसी अन्य उत्पाद में निहित बौद्धिक संपदा से संबंधित कार्यवाही / कार्य निष्पादन हेतु, चयनित विधि फर्म अपने स्वतंत्र मूल्यांकन, भारत के उच्चायोग / दूतावास की राय तथा बीईडीएफ / एपीडा के अंतिम निर्णय के आधार पर सहायकों (वकीलों /	**स्वीकार्य**

	परामर्शदाताओं / एजेंसिओं / सेवा प्रदाताओं) को नियुक्त करेगी। उक्त सहायकों की नियुक्ति / कार्य आवंटन से पूर्व इन निर्देशों तथा अनुमोदनों का प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे विदेशी सहायकों को देय किसी भी शुल्क के प्रेषण हेतु चयनित विधि फर्म को बीईडीएफ / एपीडा से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।	
III.	बासमती नाम से संबंधित बौद्धिक संपदा के पंजीकरण हेतु तृतीय पक्ष द्वारा किए जा रहे प्रयासों की निगरानी करने तथा भारत एवं विदेश में आवश्यक कार्रवाई करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडमार्क तथा भौगोलिक संकेत रजिस्टरों की निगरानी के लिए, चयनित विधि फर्म द्वारा बीईडीएफ / एपीडा की पूर्वानुमोदन प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर एक वॉच एजेंसी नियुक्त की जाएगी। वॉच एजेंसी को देय शुल्क का प्रतिपूर्ति बीईडीएफ / एपीडा द्वारा की जाएगी।	**स्वीकार्य**
IV.	फर्म को एक मुश्त शुल्क उद्धृत करना अपेक्षित है, जिसका भुगतान उपरोक्त I और II के अनुसार देय शुल्क के अतिरिक्त, मासिक आधार पर किया जाएगा। यह एक मुश्त शुल्क भारत और विदेशी क्षेत्राधिकारों में बासमती चावल में निहित बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु अपेक्षित गतिविधियों को समाहित करेगा।	₹.....प्रति माह
V.	जीएसटी / कर समय-समय पर लागू दर के अनुसार अतिरिक्त देय होगा।	

<u>चयन प्रक्रिया:</u>

सफल बोलीदाता का चयन संबंधित पात्रता आवश्यकताओं की पूर्ति तथा तकनीकी एवं वित्तीय मानदंडों के आधार पर प्राप्त अंकों के अनुसार किया जाएगा। प्रस्ताव में प्रस्तुत विवरणों के संबंध में बीईडीएफ / एपीडा को उन्हें स्वीकार करने, अस्वीकार करने अथवा अतिरिक्त स्पष्टीकरण माँगने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। तकनीकी निविदा का भारण 70% तथा वित्तीय निविदा का भारण 30% होगा।

एपीडा की एक समिति तकनीकी बोली की जांच / छँटनी करेगी और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को सूचीबद्ध करेगी। सूचीबद्ध बोलीदाताओं को चयन के पूर्व समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

क्र. सं.	**मापदंड**	**अंक / भारण**
1.	प्रस्तुति का विषय: क. गतिविधि की समझ और पेशेवर रूप से कार्य निष्पादन के लिए विचार। ख. आईपीआर / जीआई कानून के क्षेत्र में पिछला अनुभव, उल्लेखनीय वर्तमान कार्य और अनुकूल निर्णय।	40
2.	आईपीआर / जीआई कानून से संबंधित मामलों के निपटान में विशेषज्ञता की उपलब्धता तथा उनका अनुभव	20 **नोट:** 10 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव रखने वाले 3 विशेषज्ञों के लिए : 15 अंक; 3 से अधिक ऐसे अनुभवी विशेषज्ञ होने की स्थिति में, प्रत्येक अतिरिक्त विशेषज्ञ के लिए 2.5 अतिरिक्त अंक दिए जाएँगे, जिसकी अधिकतम सीमा 5 अंक होगी।
3.	वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान विधि फर्म का कारोबार (टर्नओवर)।	10 **नोट:** 5 करोड़ के लिए : 6 अंक; प्रत्येक अतिरिक्त करोड़ के लिए 1 अतिरिक्त अंक (4 करोड़ तक); 8 करोड़ से अधिक होने की स्थिति में 2 अतिरिक्त अंक दिए जाएँगे, जिसकी अधिकतम सीमा 10 अंक होगी।
कुल भारण		**70**

सभी प्रस्तुतियों का अंकन किया जाएगा। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। केवल ऐसे सूचीबद्ध आवेदकों की वित्तीय बोलियाँ तत्पश्चात खोली जाएँगी।

वित्तीय बोली हेतु अधिकतम 30 अंक निर्धारित होंगे। अंकों की गणना निम्नलिखित पद्धति के अनुसार की जाएगी:

L1 = 30 अंक
L2 = 30XL1(L1 द्वारा उद्धृत लागत) / L2 (L2 द्वारा उद्धृत लागत)
और इसी प्रकार L3, L4 - (एजेंसियों की संख्या के आधार पर)

वित्तीय बोली के अंक प्राप्त होने के बाद, तकनीकी और वित्तीय अंकों को जोड़ा जाएगा और उच्चतम कुल अंक प्राप्त करने वाले बोलीदाता का चयन किया जाएगा।

चयन समिति, अनुबंध / आदेश दिए जाने से पहले किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए और बीईडीएफ / एपीडा पर कोई दायित्व डाले बिना, किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। बीईडीएफ / एपीडा मूल्यों को कम करने के उद्देश्य से चयनित बोलीदाताओं के साथ मूल्य वार्ता करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

निबंधन और शर्तें

I. अनुमोदित बोलीदाता को बीईडीएफ / एपीडा के निर्देशों और मार्गदर्शन के तहत कार्य करना होगा। यह सुनिश्चित करना बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी कि बीईडीएफ / एपीडा के लिए उनके द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियाँ विधिक ढाँचे के अनुसार हों।

II. वित्तीय बोली बोलीदाता के लेटरहेड पर भारतीय रुपयों में शुल्क का उल्लेख करते हुए होनी चाहिए, और इसमें सभी कर शामिल होने चाहिए।

III. इस अनुबंध के तहत बोलीदाताओं को कार्य अवधि के दौरान उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करना होगा। बोलीदाताओं को बीईडीएफ को निविदा दस्तावेज़ों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित लागत स्वयं वहन करनी होगी।

IV. यदि यह पाया जाता है कि कार्य आवंटन के लिए अनुशंसित एजेंसी, अनुबंध की प्रतिस्पर्धा के दौरान या कार्य के किसी भी चरण में भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरण में संलिप्त रही है, तो बीईडीएफ / एपीडा कार्य आवंटन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा।

V. स्व-प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि उन्हें किसी भी सरकारी संगठन द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है तथा वर्तमान तिथि तक यह स्थिति यथावत लागू है।

VI. इस दस्तावेज के किसी भी खंड की व्याख्या के संबंध में, अध्यक्ष बीईडीएफ / एपीडा का निर्णय

अंतिम होगा और यह दोनों पक्षों, अर्थात बोलीदाता और बीईडीएफ, पर बाध्यकारी होगा।

VII. चयनित फर्म अपने विदेशी समकक्ष / सहयोगी के साथ हस्ताक्षरित समझौते / अनुबंध की प्रति साझा करेगी।

वित्तीय शर्तें

1. फर्म ऐसी किसी भी गतिविधि के लिए शुल्क नहीं लेगी जो पहले से सहमत शुल्क संरचना में सूचीबद्ध नहीं है। यदि कोई ऐसी गतिविधि आवश्यक हो जो सामान्य न हो परंतु बौद्धिक संपदा (आईपी) को प्रभावी रखने के लिए अनिवार्य हो, तो फर्म द्वारा इसकी सूचना एपीडा को देना अपेक्षित है। ऐसी विशेष परिस्थितियों के लिए एपीडा से लिखित सहमति/अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

2. सभी चालान पर विधिवत संदर्भ संख्या अंकित होना अनिवार्य होगा।

3. प्रत्येक प्रकरण हेतु पृथक चालान प्रस्तुत किया जाएगा। 200 अमेरिकी डॉलर (या समकक्ष राशि) से कम मूल्य के चालान पृथक रूप से प्रेषित न कर, संबंधित प्रकरण की आगामी कार्यवाही के साथ समेकित रूप से भेजे जा सकते हैं। तथापि, यदि 3 माह की अवधि में कोई कार्यवाही देय न हो, तो ऐसे लघु चालान एपीडा को पृथक रूप से प्रेषित किए जा सकते हैं। एपीडा वास्तविक कार्यवाही की तिथि से छह माह से अधिक पुराने बिलों को स्वीकार नहीं करेगा।

4. यदि चालान में किसी प्रकार का आधिकारिक शुल्क सम्मिलित है, तो संबंधित आधिकारिक शुल्क की विधिवत अभिप्रमाणित रसीद चालान के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि आधिकारिक रसीद उपलब्ध न हो अथवा प्राधिकारी द्वारा विलंब से जारी की गई हो, तो संबंधित उद्देश्य हेतु अधिसूचित शुल्क अनुसूची (पेटेंट कार्यालय/आईपी कार्यालय की दर सूची) की प्रति, जिसमें संबंधित शुल्क स्पष्ट रूप से प्रदर्शित (हाइलाइट) हो, संलग्न की जाएगी।

5. फर्म को यह प्रमाणित करना होगा (समर्थनकारी दस्तावेजों सहित) कि विदेशी सहयोगी द्वारा दावा किए गए व्यय/वितरण शुल्क युक्तिसंगत एवं स्वीकार्य हैं।

6. भारतीय अटॉर्नी के चालान की तिथि पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विदेशी मुद्रा विनिमय दर लागू होगी। यदि कुछ मुद्राओं के लिए विनिमय दर आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, तो www.xe.com या प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों की दरों को लागू किया जाएगा। अतः, विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली किसी भी हानि का वहन भारतीय अटॉर्नी द्वारा किया जाएगा।

7. फर्म प्रत्येक वर्ष 31 मई तक "वार्षिक विवरण" के माध्यम से प्रमाणित करेगी कि गत

वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त बिलों के विरुद्ध सभी भुगतान उनके विदेशी समकक्ष सहयोगी को प्रेषित कर दिए गए हैं। एपीडा इस अनुबंध के अंतर्गत फर्म द्वारा प्राप्त सेवाओं के संबंध में किसी तृतीय पक्ष के दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

8. अनुबंध के अंतर्गत देय सभी भुगतान भारत में प्रभावी कर कानूनों के अधीन होंगे।

9. अंतर्राष्ट्रीय बिलिंग के प्रयोजन के लिए, फर्म विदेशी सहयोगियों के बिल सीधे 'बीईडीएफ' के नाम पर प्राप्त करेगी और इसके लिए बीईडीएफ 'सेवाओं के आयात' के तहत आरसीएम के अंतर्गत जीएसटी भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

10. भारतीय अटॉर्नी द्वारा वहन किए गए कर के भार, सेवाओं के आयात पर जीएसटी की गणना और बैंकिंग मोड/बुक एंट्री मोड के माध्यम से विदेशी समकक्ष को किए गए भुगतान को उनके वैधानिक लेखा परीक्षक (वार्षिक वैधानिक ऑडिट करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। सीए प्रमाणपत्र भारतीय अटॉर्नी के दावों की शुद्धता सुनिश्चित करेगा।

11. सीए प्रमाणपत्र के बिना जीएसटी की किसी भी प्रतिपूर्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. एपीडा द्वारा पैनल में शामिल भारतीय अटॉर्नी द्वारा प्रस्तुत चालानों का भुगतान, एपीडा में चालान प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा।

13. फर्म के गठन में परिवर्तन - यदि फर्म मौजूदा साझेदारी में संशोधन करती है, किसी नई साझेदारी में प्रवेश करती है, अपनी कानूनी स्थिति या फर्म का नाम बदलती है या किसी अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण में परिवर्तन करती है, तो वह उचित दस्तावेजों के साथ एपीडा को तुरंत सूचित करेगी।

तकनीकी और वित्तीय दो भागों में बोलियाँ अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में, जिनके ऊपर 'बासमती चावल के संबंध में बौद्धिक संपदा के पंजीकरण और संरक्षण हेतु बोली' अंकित हो, दिनांक **20.03.2026 (दोपहर 3 बजे)** तक प्रस्तुत की जानी होंगी।

बोली-पूर्व बैठक दिनांक **13.03.2026** को आयोजित की जाएगी।

सचिव,
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा),
वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार,
एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली 110016 ।